यथावत संवाददाता

आम चुनाव 2014 के दौरान क्रोनी कैप्टलिज्म की चर्चा जोरों पर है। औद्योगिक घराने सत्ता प्रतिष्ठान से सांठगांठ करके देश के खनिज और प्राकृतिक संपदा को कौड़ियों के भाव खरीद रहे हैं। यह सब जनता के हित के नाम पर किया जा रहा है।

औद्योगिक घरानों की लूट

औद्योगिक घरानें बिजली, गैस, सड़क जैसे बुनियादी सुविधा देने के नाम पर देश की प्राकृतिक और खनिज संपदा की लूट मचा रखी है। आम जनता को तो इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है लेकिन कुछ कॉरपोरेट घरानें चंद दिनों में हजारों करोड़ के मालिक हो गए हैं। इसका ताजा उदाहरण रिलायंस इंडस्ट्री है। जाने–माने पत्रकार परांजॉय गुहा ठाकुरता ने अपनी पुस्तक 'गैस वार्स : क्रोनी कैप्टलिज्म एंड द अंबानी' में इसका खुलासा किया है। इस पुस्तक को ठाकुरता ने सुबीर घोष और ज्योर्तिमय चौधरी के साथ मिलकर लिखी है। संप्रग सरकार ने मुकेश अंबानी की कंपनी को केजी बेसिन से गैस निकालकर देश की जनता को सस्ते में मुहैया कराने का समझौता किया। लेकिन कंपनी लगातार शर्तों का उल्लंघन करती रही। इसके बाद भी संप्रग सरकार की कृपा रिलायंस इंडस्ट्री पर बरसती रही। मुकेश अंबानी के राह में रोड़े अटकाने वाले तीन–तीन पेट्रोलियम मंत्रियों को मंत्रालय से चलता कर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि इसके सबसे पहले शिकार मणिशंकर अय्यर बने। उसके बाद मुरली देवड़ा और एस. जयपाल रेड्डी के मंत्रालय को बदला गया। नए पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने आते ही जनता की जगह अंबानी के हितों का ख्याल रखते हुए गैस के दाम में अचानक वृद्धि की घोषणा कर दी। दस वर्षीय यूपीए शासनकाल के दौरान गैस के दामों में यह सबसे अधिक बढ़ोतरी थी। यह निर्णय रिलायंस इंडस्ट्री के दबाव में किया गया। सरकार ने मुकेश अंबानी के गैस के दाम बढ़ाने की मांग को वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए आयोग बनाने का ढोंग किया। आयोग ने गैस के मूल्य निर्धारण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के फॉर्मूले को नहीं चुना। आयोग को जापान का फॉर्मूला भाया। जापान ऐसा देश है जहां पर किसी भी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है। यह जानते हुए भी आयोग ने इस फॉर्मूले को क्यों चुना, सहज ही समझा जा सकता है। सिर्फ केजी बेसिन से गैस निकालने के मामले में ही ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि संप्रग सरकार के दस साल के कमजोर शासन काल में राष्ट्रीय संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को उद्योगपतियों ने अपने हित में खुली लूट मचाई। अंबानी जैसे उद्योगपतियों ने अपने हित में सरकार से नीतियां बनवाई। जनता के हित में बताए जाने वाले ऐसी परियोजनाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों से हजारों करोड़ का ऋण नाममात्र के ब्याज पर दिया गया। प्राकृतिक संसाधन और सार्वजनिक बैंकों के पैसों को उद्योगपतियों के निजी हित में इस्तेमाल करने की खुली छूट दी गई। संप्रग सरकार ने क्रोनी कैप्टलिज्म के पक्ष में कई संदिग्ध निर्णय किए। जिसमें दूरसंचार, कोयला, गैस, इस्पात खदानों, बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण के ठेके शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एयर इंडिया और बैंकों के संसाधनों की भी उद्योग घरानों के हित में उपयोग हुई है।

इस पुस्तक के आने के बाद रिलायंस ने लेखक परांजॉय गुहा ठाकुरता, सुबीर घोष, ज्योतिर्मय चौधरी के साथ प्रकाशक के ऊपर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कानूनी नोटिस भेजा है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कंपनी ने पुस्तक समीक्षा करने वाले पत्रकारों को भी कानूनी नोटिस थमा दिया है। वरिष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल ने मनीलाइफ मैगजीन में पुस्तक की समीक्षा करते हुए 'अंबानी की दुकान' लेख लिखा था। इसके साथ ही मैगजीन में 'कांग्रेस गिफ्ट टू रिलायंस : आरआईएल सोल बेनिफिशियरी ऑफ एंटी एंड डंपिंग ड्यूटी ऑन पीटीए' नामक लेख भी प्रकाशित हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्री ने इन दोनों लेखों को अपनी प्रतिष्ठा से छेड़छाड़ बताया है। रिलायंस ने मनीलाइफ के एडिटर और पब्लिशर देबाशीष बसु, मनीवाइस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और मनीलाइफ के मैनेजिंग एडिर सुचेता दलाल के खिलाफ लेख प्रकाशित करने के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस भेजने वाली लीगल सर्विस फर्म खेतान एंड कंपनी ने मनीलाइफ पर रिलायंस की प्रतिष्ठा को नीचे गिराने का आरोप लगाया है। लीगल फर्म ने नोटिस में हर जगह पुस्तक का जिक्र 'पंपलेट' के रूप में किया है। रिलायंस कंपनी ने मनीलाइफ की मैनेजिंग एडिटर सुचेता दलाल को उनके लेख 'अंबानी की दुकान 'लेख लिखकर पुस्तक 'गैस वॉर्स– क्रोनी कैप्टलिज्म एंड द अंबानी' पुस्तक के आपत्तिजनक तथ्यों को सही ठहराने का आरोप लगाया है। ■